

संख्या: 3052/77-6-06-41टैक्स/01

प्रेषक,

जे०पी०एन०डृदेवी,

अनु सचिव,

उ०२० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उद्योग निदेशालय,

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या- 2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के कानूनप्रथम प्रत्तरों में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस तंत्रमें मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा, उल्लेखित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-2959/77-6-06-41टैक्स/01 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 के अनुकार आवश्यक कार्यकारी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003, इस सीमा तक संरक्षित रखना जाए।

संलग्नक- ध्योक्त।

ध्योक्त,

(जे०पी०एन०डृदेवी)

अनुसचिव

संख्या व दिनांक तदैव

- प्रपुरुष की प्रतीक्षिप्त निमित्तिज्ञ को सूचनाएँ एवं अवसरक कार्यकारी ऐतु देखित-
- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० धितीय निगम, कानपुर।
 - 2- प्रबन्ध निदेशक, नियम, निकाय भवन, गोपनीय राज्यसभा।
 - 3- अधिकारी निदेशक, उपर्योग कम्युनिकेशन।
 - 4- आयुक्त, व्यापार कर गोपनीय नगर, लखनऊ।
 - 5- वित्त (व्यव-नियन्त्रण) अनुभाग-6
 - 6- वित्त (आय-व्यव) अनुभाग-4
 - 7- कर निवास अनुभाग-2
 - 8- गाड़ फरक्त।

आज्ञा से,

(जे०पी०एन०डृदेवी)

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2959/77-6-06-41-टैक्स/01
लखनऊ:दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 162 के अधीन गव्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्ताहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या- 3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्व स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्ताहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006

- | | |
|---------------|--|
| संक्षिप्त नाम | 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्ताहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006 कही जायेगी। |
| विस्तार एवं | (2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी। |
| प्रारम्भ | (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
- 2- नियम-2का औद्योगिक निवेश प्रोत्ताहन नियमावली 2003 के नियम-2 में संशोधन नीचे लिख-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग व घ (1) के स्थान पर लिख-2 में, एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड-ग व घ रख दिये जायेंगे तथा खण्ड-ठ के पश्चात नवा खण्ड-ड बड़ा दिया जायेगा। अर्थात्

लिख-1

विधमान नियन

ग- 'पात्र इकाई' का ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई में इकाई से है तात्पर्य ऐसी नई में जिसके द्वारा निर्मित माल की विकी की प्रथम तिथि मार्च इकाई से है जिसके द्वारा 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती है। निर्मित माल की विकी प्रतिवन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में पात्र की प्रथम तिथि मार्च इकाई ऐसी इकाई को मुना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित 11, 2003 को या माल की विकी की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती है। उसके बाद पड़ती है।

घ- में इकाई का घ- में इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों तात्पर्य निम्न प्रकार यही ते है:-

इकाईयों से है:-

- (1) खाद्य प्रसंस्करण (1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु संवर्द्धा आधारित ऐसी अथवा पशु सम्पत्ति औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश आधारित ऐसी औद्योगिक किया गया है। इकाई जिसमें 10 करोड़ प्रतिवन्ध यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में या अधिक का निवेश स्थापित ऐसी इकाईयों जिनकी प्रधान विकी की तिथि किया गया है। 29.12.04 को या उसके बाद पड़ती ही तर्ह लिन्ये दूँजी

निवेश रु0 5.00 करोड़ वा अधिक हो, को भी नेगा
इकाई माना जायेगा ।

स्तम्भ-1
विधमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम

डॉ. पायनियर इकाई से तात्पर्य किसी जनपद में स्थापित
होने वाली प्रथम पात्र मेंगा इकाई से है

“प्रतिवन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में
ऐसी इकाई को पात्र माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित
माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके
बाद पड़ती हो ।”

प्रतिवंध यह है कि किसी जनपद में प्रथम इकाई
ऐसी पात्र इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निन शर्तें
भी पूरी की जायः-

(1) जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि
जनपद में सर्वप्रथम पड़ती हो ।

(2) यदि एक से अधिक इकाईओं की बिक्री की प्रथम
तिथि जनपद में एक ही दिन पड़ती हो तो ऐसी इकाई को
प्रथम इकाई माना जायेगा जिसने सेक्षेटरियट फार
इण्डस्ट्रियल एम्प्रूप्ट, उद्योग मंत्रालय भारत तत्कारं ते
सर्वप्रथम आशय पत्र (एत.ओ.आई.) अध्या.इच्छा.पत्र
(आई.ई.एम.) शानित कर एकत्रेजेन्ट प्रांत कर्त्तव्य

पाइनियर इकाई की पात्रता का निर्धारण जनपद
स्तर पर गठित सनिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संघित
जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, व्यापार कर.
विधान के नामित कर निर्धारण अधिकारी एवं जिलाधिकारी
होंगे। इसके जटिलिका जिलाधिकारी जिस अधिकारी को
जचित समझे, दिशेष आनंदी के स्वयं में समिति में नामित
कर सकते हैं। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पात्र इकाई को
पात्रता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। पात्र
पाइनियर इकाई पात्रता प्रमाणपत्र के साथ रिक्प/दू.पी.
एफ.सी. मे औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ
प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे ।

3- नियम-3 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-3 जा व्याज अर्थ संशोधन मुक्त से संबंधित है वे निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

3-पात्र इकाईयों द्वारा नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी

स्तम्भ-2
एतद्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम

3-पात्र इकाईयों द्वारा नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी किन्तु पायनियर इकाई के लिए नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 15 वर्ष तक की होगी।

4- नियम-5 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-5 में निम्नवत् संशोधन संशोधन किये गये हैं:-

उक्त नियमावली में नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम- (1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) रख दिया जाएगा तथा पायनियर इकाईयों के लिए नियम-5(10) भी संशोधित हो जाएगा अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रोत्साहित किये जाने वाले नियम

5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितंबर तक पात्र इकाई व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों को चार्टेड इकाउटेट से प्रमाणित तौर प्रतिवां पिक्प/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। प्रियंका द्वारा वित्त प्रोफित इकाईयों व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र प्रियंका को देगी। तथा शेष इकाईयों को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने को दिन जाला। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देव व्यापार कर एवं केन्द्रीय द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व-त्वार्कत व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार ने जना करेगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं प्रियंका के पध्न इकाईयों का वर्गीकरण नियमानुसार राजकीय कोषागार में कराया जाएगा।

5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितंबर तक पात्र इकाई व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड इकाउटेट से प्रमाणित तौर प्रतिवां पिक्प/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देव व्यापार कर एवं केन्द्रीय विक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार ने जना करेगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं प्रियंका के पध्न इकाईयों का वर्गीकरण नियमानुसार राजकीय कोषागार में प्रकार होगा:-

उ0प्र0विलोय निराम पिकप

(1) किसी भी जनपद किसी भी जनपद में
में स्थापित खाद्य स्थापित खाद्य प्रतंकरण
प्रसंस्करण अथवा पशु अथवा पशु सम्बद्ध पर
सम्बद्ध पर आधारित आधारित ऐसी औद्योगिक
ऐसी औद्योगिक इकाईयां इकाईयां जिनमें 15
जिसमें 5-15 करोड़ करोड़ ते अधिक का
तक का पूँजी निवेश पूँजी निवेश किया गया
किया गया हो।

(2) किसी भी जनपद किसी भी जनपद में
में स्थापित होने वाली स्थापित होने वाली
इलेक्ट्रनिक्स क्षेत्र की इलेक्ट्रनिक्स क्षेत्र की
इकाईयां जिसमें 10 से इकाईयां जिसमें 15.00
15 करोड़ तक का करोड़ ते अधिक का
पूँजी निवेश किया गया पूँजी निवेश किया गया
हो।

(3) उपरोक्त (1) व उपरोक्त (1) व (2) के
(2) के अतिरिक्त अतिरिक्त एवं चारों व
पूर्वाचारं व बुन्देलखण्ड बुन्देलखण्ड में स्थापित
में स्थापित होने वाली होने वाली ऐसी
ऐसी औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक इकाईयां
जिसमें 10-15 करोड़ जिसमें 15 करोड़ ते
तक पूँजी निवेश किया अधिक का पूँजी निवेश
गया हो। किया गया हो।

(4) उपरोक्त (1), (2) उपरोक्त (1), (2) व
व (3) के अतिरिक्त (3) के अतिरिक्त किसी
किसी भी जनपद में भी जनपद में स्थापित
स्थापित होने वाली होने वाली सभी प्रकार
सभी प्रकार की की औद्योगिक इकाईयां
औद्योगिक इकाईयां जिनमें 30 करोड़ से
जिनमें 25-30 करोड़ अधिक का पूँजी निवेश
तक का पूँजी निवेश किया गया हो।
किया गया हो।

यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम अथवा पिक्प ने किसी इकाई को स्थान वित्त पोषित भी किया हो तो उपरोक्तानुसार सीमा से बाहर होते हुए भी दूसरे नियम से अनापूर्त प्रमाण पत्र लेकर वह इस योजना में वित्त योग्यित कर सकते हैं। ऐसा करना कार्यहीन / उच्चोग हित / नियम हित में होगा।

5(4) व्याज मुक्त क्रण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा कर तथा केंद्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5(4) व्याज मुक्त क्रण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा कर तथा केंद्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रतिवर्ध यह है कि पायनियर इकाईयों को प्रधन जिजी की तिथि से 10 वर्ष के स्थान पर 15, वर्ष के तिए व्याजमुक्त क्रण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी वापसी क्रण दित्तन के ठीक 10 वर्ष की जमाप्ति के बाद होगी। शेष शर्तें यथावत दर्नी रहेंगी।

अद्यतर प्रतिवर्ध यह है कि सभी नवी वृहद औद्योगिक इकाईयों जिनमें 50 प्रतिशत तैज ज्यादा नहिला कार्यरत हो अथवा 500 से अधिक माहिलाएं स्थाई स्प से नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति / जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, वो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्दरात अनुमत्य व्याज रहित क्रण के अन्तिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अध्या प्रदत्त व्यापार कर व केंद्रीय विक्री कर के योग, जो भी कर हो, को अदिक्षण सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अन्तिरिक्त व्याज मुक्त क्रण की सुविधा उपलब्ध होगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त क्रण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजें। बुन्देलखण्ड व पूर्वाञ्चल में स्थापित होने वाली इकाईयों के संबंध में योजनान्तर्गत क्रण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वाञ्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायें।

5(10) वितरित किये गये गये क्रण की वापसी क्रण वितरण की तिथि के 7 वर्ष वापसी क्रण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. 10 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त क्रण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजें। वाछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित कराकर पिकप/यू.पी.एफ.सी. को व्यावश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।

5(10) वितरित किये गये गये क्रण की वापसी क्रण वितरण की तिथि के 7 वर्ष वापसी क्रण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. 10 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु पावनियर इकाई के लिए क्रण की वापसी क्रण वितरण की तिथि के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. 10 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5- नियम-10 से उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये गंये तंशेधन विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम-10 रख दिया जायेगा। अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम

10 ब्याज मुक्त क्रण ने आने वाले तभी 10 ब्याज मुक्त क्रण में आने वाले व्यव जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने सभी व्यव जिसमें विधिक विलेख में आने वाले व्यव, स्टैच शुल्क, निष्पादित करने में आने वाले व्यव, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य स्टैच शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क, अनुषांगिक व्यव शामिल है, पात्र इकाई व अन्य अनुषांगिक व्यव शामिल है, के द्वारा अप्रिम रूप में देय होगा।

अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यव भी पात्र इकाई द्वारा अप्रिम रूप में देय होगा।

आज्ञा से,

(अनुल कुमार गुप्ता)
ओद्योगिक विकास आपूर्ति
एवं प्रशासनिक व्यव